मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981
[क्रमांक 36 सन् 1981]

विषय-सूची

अध्याय -एक

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार
2. परिभाषाएं

अध्याय- दो

डकैती और व्यपहरण क्षेत्र की घोषणा

3. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र की घोषणा
4. पुलिस की सहायता करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होगा ।

4. क. उस दशा में प्रक्रिया जब अन्वेषण चौबीस घण्टों के अन्दर पूरा न किया जा सकता हो ।

5. जमानत मन्जूर किये जाने का विनियमन ।
6. विशेष न्यायालयों का गठन
7. विशेष न्यायालयों की अधिकारिता
8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ

अध्याय-तीन

अपराध और शास्तियां

9. लोक सेवक के विरुद्ध अपराधों के लिये दण्ड
10. मृत्यु दण्ड न देने के लिए कारण अभि लिखित किये जायेंगे
11. विनिर्दिष्ट अपराधों के लिये साधारणत: दण्ड
12. ऐसी सम्पत्ति को जिसके बारे में समाधान कारक रूप में लेखा-जोखा न दिया जा सकता हो, कब्जे में रखने के लिए दण्ड
13. कारावास की न्यूनतम कालावधि

13 क. प्रतिषिद्धि आयुधों तथा प्रतिषिद्ध गोला- बारूद को आयुध अधिनियम, 1959 के उल्लंघन में कब्जे आदि में रखने आदि की दशा में उपधारणा

अध्याय-चार

सम्पप्ति की कुर्की

14. सम्पत्ति की कुर्की 1
15. सम्पति की निर्मुक्ति
16. सम्पत्ति के अर्जन के स्वरूप के बारे में विशेष न्यायालयों व्दारा जाँच
17. विशेष न्यायालय का विनिश्चय और परिणाम

18. अपील
19. अधिकारिता का वर्जन

अध्याय-पांच

प्रकीर्ण

20. सद्भावपूर्ण की गई कार्यवाही का संरक्षण
21. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
22. नियम बनाने की शक्ति
23. निरसन

- अनुसूची

मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981

[दिनांक 6 अक्टूबर, 1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 7 अक्टूबर 1981 को प्रथम बार प्रकाशित की गई ।]

[मध्य प्रदेश के डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय अपराधों को विनिर्दिष्ट करने और ऐसे विानिर्दिष्ट अपराधों के किये जाने को कारगर ढंग से दबाने कै हेतु उन अपराधों के सम्बन्ध में दण्डों तथा उनके शीघ्र विचारण का उपबन्ध करने एव उन सम्पत्तियों की जो विनिर्दिष्ट करके अर्जित की गई है, कुर्की के लिये तथा उनसे संसक्त या आनुषगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु अधिनियम ।]

गत डाकुओं के संगठित और असंगठिन गिरोहों से उत्पन्न खतरे पर कारगर ढंग से काबू पाने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे निहित स्वार्थों की जो ऐसे गिरोहों की सहायता करते हैं या जो उनसे सहयुक्त हैं, कड़ी को समाप्त किया जाय, और उन्हें कारगर ढंग से दबाया जाय तथा उन पर प्रभावी रूप से नियन्त्रण किया जाय ;

और अत: यह आवश्यक है कि डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्रों में कतिपय विनिर्दिष्ट अपराधी के लिए अधिक कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाय ;

और अत: यह आवश्यक है कि विनिर्दिष्ट अपराध करके अर्जित की गई उन विपुल सम्पत्तियों की, जो डाकुओं के सम्बन्धियों, साथियों तथा विश्वासपात्र व्यक्तियों के नाम पर धारित की जा रही है, कुर्की तथा अधिहरण के लिये उपबन्ध किया जाय;

अतएव भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान मण्डल व्दारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो-

अध्याय 1 --प्रारम्भिक

1. सक्षिप्त नाम और विस्तार (1) इम अधिनियम का सक्षिस नाम मध्य प्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत अधिनियय, 1981 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्य प्रदेश पर है ।

सामान्य - यह अधिनियम इसकी उद्देशिका में वर्णित विषयों के नियन्त्रण के लिये अधिनियमित किया गया था । इसी विषय पर इसके पूर्व एक अध्यादेश जारी किया गया था, जो इस अधिनियम व्दारा निरसित कर दिया गया है ।

यह अधिनियम म. प्र. राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 7 अक्टूबर, 1981 को पृष्ठ 731-36 पर प्रकाशित हुआ था 1 बाद में इसमें अधिनियम क्र० 29 सन् 1982 व्दारा संशोधन किये गये । यहाँ प्रस्तुत अधिनियम अद्यतन संशोशित रूप में दिया जा रहा है ।

2. परिभाषाएँ - इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) “संहिता" से अभिप्रेत है दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का स० 2);

(ख) किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के सम्बन्ध में "डाकू" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कोई ऐसा अपराध, जो भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं० 45) की धारा 395

के अधीन दण्डनीय है, या कोई विनिर्दिष्ट

अपराध करता है या जिसने कोई ऐसा अपराध किया है या यथास्थिति कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी ऐसे अपराध के किये जाने का अभियोग लगाया गया है; "डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्न" से अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 3 के अधीन डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है;

[(ग-ग) "व्यपहरण" के अन्तर्गत अपहरण आता है,;]

(घ) "विशेष न्यायालय" से अभिप्रेत है धारा 6 के अधीन गठित विशेष न्यायालय;

(ड.) "विशेष न्यायाधीश" से अभिप्रेत है किसी विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने क लिये धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया कोई न्यायाधीश;

(च) "विनिर्दिष्ट अपराध" से अभिप्रेत है--

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध जो धारा 3 के अधीन घोषित क्षेब क सम्बन्ध में किया गया हो जो डकैती या व्यपहरण किये जाने का भागरूप हो या उससे उद्‌भूत होता हो या उससे संसक्त हो;

(दो) कोई ऐसा अपराध जिसके लिये इस अधिनियम की धारा 9, 11 और 12 के अधीन दण्ड का उपबन्ध किया गया है;

[(तीन) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (180 का सं. 45) की धारा 212, 216 21 क, 311 347 392 393 394,395,396,397,398,399,402 तथा 412 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध जो धारा 3 अधीन घोषित किये गये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में सन्दर्भ में किया गया हो; और उसके अन्तर्गत उपखण्ड (एक), (दो) और (तीन) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध का दुष्प्रेरण या ऐसे किसी अपराध के किये जाने का प्रयत्न आता है;

(छ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई है किन्तु परिभाषित नहीं की गई है और जो संहिता में परिभाषित की गई है, वही अर्थ होंगे जो उनके लिए संहिता में या यथास्थिति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं॰ 45) में दिये गये हैं ।

अध्याय - दो
डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र को घोषणा

3 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेंत्र की घोषणा - यदि, किसी जिले या जिलों में या उसके किसी भागों में विनिर्दिष्ट अपराधों की घटनाओं को ध्यान में रखते हुये, या उनके सम्बन्ध में पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या कोई अन्य जानकारी प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यह समझती है कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस क्षेत्र की, जो ऐसे जिले या जिलों या उनके किसी भाग या भागों के अन्तर्गत आता है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेज्ञ घोषित किया जाय, तो राज्य सरकार, अधिसूचना व्दारा, उस जिले या उन जिलों को या उसके किसी भाग या भागों को, जो उस अरि सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये हों ' डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र" घोषित कर सकेगी ।

1. म. प्र. अधिनियम क० 29 सन् 1982 व्दारा अन्त-स्थापित जो म० प्र० राजपत्र असाधारण. दिनांक 31-10-82 के पृष्ठ 2373-2378 पर प्रकाशित

4.पुलिस की सहायता करने वाला व्यक्ति लोक सेवक होगा- (1) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी विनिर्दिष्ट अपराध के किये जाने के बारे में जानकारी देकर पुलिस की सहायता करता है या जो किसी विनिर्दिष्ट अपराध के किये जाने के बारे में जानकारी देने या उसके अन्बेषण में पुलिस की सहायता करने के लिये लगाया जाता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, भारतीय दण्ड संहिता (180 का सं० 45) की धारा 2 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा ।
(2) पुलिस अधीक्षक का इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि उसमें वर्णित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये पुलिस की सहायता करता है, या पुलिस से सहायता करने के लिये लगाया गया है, उन तथ्यों का निश्चायक साक्ष्य होगा जो उसमें कथित किये गये है ।

4-क. उस दशा में प्रक्रिया जब अन्वेषण चौबीस घण्टे के अन्दर पूरा न किया जा सकता हो- (1) जब कभी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी विनिर्दिष्ट अपराध से सम्बद्ध रहा है, या जिसके विरुद्ध यह परिवाद किया गया है कि वह उससे सम्बद्ध रहा है, या जिसके विरुद्ध यह विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई हो कि वह उससे सम्बद्ध रहा है या जिसके विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह है कि वह उससे सम्बद्ध रहा है, गिरफ्तार किया जाता है और अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाता और यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण संहिता की धारा 57 व्दारा नियत चौबीस घण्टे की कालावधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता, और यह विश्वास करने के लिये आधार हैं कि अभियोग या जानकारी दृढ़ आधार पर है, तो पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अथवा अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि वह उपनिरीक्षक की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का नहीं हैं, मामले से सम्बन्धित डायरी, जौ संहिता में विहित है, की प्रविष्टियों की एक प्रति निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट को तुरन्त भेजेगा और उसके साथ ही अभियुक्त को भी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।

(2) वह मजिस्टेरट, जिसके पास अभियुक्त को उपधारा (1) के अधीन भेजा जाता है, चाहे उसे अधिकारिता हो या नहीं, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी कि ऐसा मजिस्टेरट ठीक समझे, इतनी अवधि के लिये जो कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अधिक की नहीं होगी, निरुद्ध रखा जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) उस दशा में जबकि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को निरुद्ध रखना किसी भी समय अना-वश्यक समझे, या उपधारा (2) के अधीन पन्द्रह दिन की विरोधावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, वह अभियुक्त को समस्त कागज-पत्रो के साथ उस विशेष न्यायाधीश के पास भेजेगा जो उस मामले में अधिकारिता रखता हो ।]

(4) पुलिस के कागज-पत्रों के साथ अभियुक्त के इस प्रकार भेजे जाने पर, विशेप न्यायाधीश कागज पत्रों को धारा 8 के अधीन पुलिस रिपोर्ट मानकर उस मामले का संज्ञान कर सकेगा या प्रतिप्रेषण के विषय में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसे कि अधिकारिता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट व्दारा संहिता के उपबन्धों के अधीन के अधीन पारित किये जा सकते हों ।

5. जमानत के मन्जूर किये जाने का विनियमन - (1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी के होते हुए भी कोई भी न्यायालय किसी डाकू के बारे में गिरपतारी पूर्व जमानत (एन्टीसिपेटरी) लिये कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा ।

(2) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी डाक की जमानत के लिये कोई आवेदन उस दशा में मंजूर नहीं किया जायेगा जबकि! [.....] उसका विरोध किया गया हैं:

परन्तु कोई भी न्यायालय या मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे व्यक्ति का, जिस पर विनिर्दिष्ट अपराध का अभियोग लगाया गया है, अन्वेषण के दौरान अभिरक्षा में निरोध एक सौ बीस दिनों से अधिक की कालावधि के लिये प्राधिकृत नहीं करेगा और ऐसी कालावधि की समाप्ति पर, उस दशा में जबकि संहिता की धारा 173 की उपधारा (3) के अधीन पुलिस रिपोर्ट फाइल न की गई हो अभियुक्त को, यदि वह जमानत देने के लिये तैयार है और जमानत दे देता है; तत्काल छोड़ दिया जायेगा ।

6. विशेष न्यायालयों का गठन - (1) किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में किये गये विनिर्दिष्ट अपराधों के शीघ्र विचारण के लिये उपबन्ध करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार उच्च न्यायानय से परामर्श करके, इतने विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी जितने कि ऐसे डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों में या उसके/उनके सम्बन्ध में आवश्यक हो और जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये जायें ।

[(1- क) जहाँ किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये दो या अधिक विशेष न्यायालय गठित किये गये हों, वहाँ राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करके, साधारण या विशेष आदेश व्दारा, उनके बीच कार्य वितरण का, जिसके अन्तर्गत प्रति- प्रेषण की शक्ति आती है विनियमन कर सकेगा ।]

(2) विशेष न्यायालय एकल न्यायाधीश से गठित होगा जो, राज्य सरकार व्दारा अनुरोध किया जाने पर, उच्च न्यायालयों व्दारा नियुक्त किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में, शब्द 'नियुक्त' का वही अर्थ होगा जो कि उसे संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

(3) कोई व्यक्ति विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये तक अहित नहीं होगा जब तक कि वह संहिता के अधीन सेवारत सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश न हो।

(4) किसी विशेष न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण उसके अनुपस्थित रहने अथवा रूगणता के कारण या अन्य कारण से अपने कर्त्तव्यों का अनुपालन करने से निवारित हो जाने की दशा में, सेशन खण्ड में के अपर सेशन न्यायाधीशों में से कोई भी एक अपर सेशन न्यायाधीश, जिसे सेशन न्यायाधीश व्दारा इस निर्मित निर्दिष्ट किया जाय, उस समय तक जब तक कि ऐसा विशेष न्यायाधीश व्दारा इस निर्मित निर्दिष्ट किया जाय, उस समय तक जब तक कि ऐसा विशेष न्यायाधीश अपने कर्त्तव्यों को पूनर्ग्रहीत न कर ले, उस आपत्ति मामलों को निपटायेगा जो विशेष न्यायाधीश के समक्ष आएँ और इस प्रयोजन के लिये, इस प्रकार निर्दिष्ट किये गये अपर सेशन न्यायाधीश को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी ज्ञात के ही, विशेष न्यायाधीश समझा जावेगा ।

टिप्पणी

विशेष न्यायालयों की स्थापना - राज्य सरकार ने अपनी निम्नलिखित अधिसूचना व्दारा विशेष

न्यायालयों की स्थापना की है । यह अधिसूचना म० प्र० राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 19-5-81 को पृष्ठ 1000 पर प्रकाशित हुई थी । अधिसूचना निम्न प्रकार हैं-

अधिसूचना क्र० एफ० 1-7-81 बी-इक्कीस दिनांक 19 मई, 1981- म. प्र. डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 (1981 का सं० 5) की धारा 6 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार, म ० प्र ० के उच्च न्यायालय की सलाह के एतत्व्दारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट दिशेष न्यायालयो की उक्त अनुसूची के कालम (3) में तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट डकैती प्रभावित क्षेत्रों के सम्बन्ध में, स्थापना करता है

अनुसूची

क्रम संख्यांक	विशेष न्यायालय	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
1.	विशेष न्यायालय, मुरैना	राजस्व जिला, मुरैना
2.	विशेष न्यायालय, भिण्ड	राजस्व जिला, भिंड
3.	विशेष न्यायालय, ग्वालियर	राजस्व जिला, ग्वालियर
4.	विशेष न्यायालय, दतिया	राजस्व जिला, दतिया
5.	विशेष न्यायालय, शिवपुरी	राजस्व जिला, शिवपुरी
6.	विशेष न्यायालय, गुना	राजस्व जिला, गुना
7.	विशेष न्यायालय, सागर	राजस्व जिला, सागर
8.	विशेष न्यायालय, दमोह	राजस्व जिला, दमोह
9.	विशेष न्यायालय, टीकमगढ़	राजस्व जिला, टीकमगढ़
10.	विशेष न्यायालय, छतरपुर	राजस्व जिला, छतरपुर
11.	विशेष न्यायालय, पन्ना	राजस्व जिला, पन्ना

7. विशेष न्यायालयों की अधिकारिता - (1) संहिता या तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विनिर्दिष्ट अपराध का विचारण केवल विशेष न्याया- लय व्दारा विचारणीय होगा ।

(2) किसी विनिर्दिष्ट अपराध का विचारण करने में, कोई विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिस अपराध से उस डाकू को उसी विचारण में, सहिता के अधीन अरोपित किया जाये, बशर्ते वह अपराध विनिर्दिष्ट अपराध से सम्बन्धित हो ।

8. विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां-- (1) बिशेष न्यायालय किसी विनिदिष्ट अपराध का संज्ञान,--

(क) किसी ऐसे परिवाद के, जिससे ऐसा अपराध बनता हो, प्राप्त होने पर; या

(ख) ऐसे तथ्यों की बाबत पुलिस रिपोर्ट पर; या

(ग) पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त ऐसे इत्तिला पर या अपनी स्वयं की ऐसी जानकारी पर की ऐसा अपराध किया गया है;

कर सकेगा ।

(2) विशेष न्यायालय, किसी विनिर्दिष्ट अपराध का विचारण करने में, उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो सेशन मामलों के विचारण के लिये संहिता व्दारा उपबन्धित की गई है:

परन्तु विशेष न्यायालय, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, संहिता की धारा 207 के अधीन मजिस्ट्रेट के कृत्यों का पालन करेगा, और मामले का विचारण करने के लिये इम प्रकार अग्रसर होगा मानो कि वह मामला संहिता के उपबन्धों के अधीन सेशन न्यायालय को विचारण के लिये सुपुर्द किया गया हो ।

(3) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का सं.1) और संहिता के उपबन्ध, जहाँ तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, विशेष न्यायालय के समक्ष कई कार्यवाहियों को लागू होंगे, और संहिता के उक्त उपबन्धों के प्रयोजनों के लिये विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जायगा और विशेष न्यायलय के समक्ष अभियोजन का संचालन करेने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समझा जायेगा ।

(4) विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसके सम्बन्ध में यह संदेह हो कि वह किसी विनिर्दिष्ट अपराध से प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सम्बन्धित रहा है या उसमें संसर्गित रहा है, साक्ष्य आभिप्राप्त करने की दृष्टि से, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकेगा कि वह उस अपराध के तथा प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के, जो उस अपराध के किये जाने में चाहे कर्ता के रूप में या दुष्प्रेरक के रूप मे सम्पृक्त हो, सम्बन्ध में उन समस्त परिस्थितियों का, जो उसकी जानकार में हों, पूर्ण और सत्य प्रकट न कर दे, और इस. प्रकार प्रदान की गई किसी क्षमा के सम्बन्ध में, सहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिये, यह समझा जायगा कि बह उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई है ।

(5) विशेष न्यायालय, उसके व्दारा सिद्धदोष ठहराये गये किसी अभियुक्त व्यक्ति पर कोई ऐसा दण्डादेश पारित कर सकेगा जो उस अपराध के, जिसके लिये ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया गया है, दण्ड के लिये विधि व्दारा प्राधिकृत है ।

अध्याय 3 – अपराध और शास्तियां

9. लोक सेवक के विरुद्ध अपराधों के लिए दण्ड-- कोई डाकू, जो एक से अधिक व्यक्तियो की हत्या करता है, या किसी लोक सेवक के शरीर [या सम्पत्ति] के विरुद्ध या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य के शरीर सर सम्पत्ति के विरुद्ध कोई विनिर्दिष्ट अपराध करता है, वह;

(क) यदि ऐसा अपराध भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं. 45) के अधीन मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय है, उसी दण्ड से दंडित किया जायगा जो उस अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) में उपबन्धिन है;

(ख) अन्य मामलों में कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा और धारा 10 के प्रयोजनों के लिये, किसी लोक सेवक के कुटुम्ब के सदस्य से अभिप्रेत है, उसके माता-पिता, उसकी पत्नी या उसका पति, उसके पुत्र तथा पुत्रिया,पौत्र तथा पौत्रिया और प्रपौत्र तथा प्रपौत्रिया और उनके पति या उनकी पत्नियों और उसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी आयेगा जो उस पर आश्रित हो और उसके साथ निवास करता हो ।

10 . मत्यु दण्ड न देने के लिये कारण अभिलिखित किये जायेंगे - संहिता की धारा 354 की उपधारा (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जब दोषसिद्धि एक से अधिक व्यक्तियों की हत्या या किसी लोक सेवक की या उसके कुटुम्ब के किसी सदस्य की हत्या के लिये हो और जहां मृत्यु का दंडादेश नहीं दिया जाता है, वहाँ निर्णय में वे विशेष कारण कथित किये जायेंगे जिनके आधार पर मृत्यु का दंडादेश नहीं दिया गया है ।

11 विनिर्दिष्ट अपराधों के लिये साधारणत: दण्ड- कोई डाकू, जो कोई विनिर्दिष्ट अपराध करेगा वह, यदि उस कार्य के लिये भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में कोई विनिर्दिष्ट दंड उपबन्धित नहीं है और यदि वह कार्य धारा 9 के अधीन भी दंडनीय नहीं है, कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा ।

12. ऐसी सम्पत्ति को, जिसके बारे में समाधानकारक रूप में लेखा-जोखा न दिया जा सकता हो, कब्जे में रखने के लिए दण्ड - कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में रहता है और उस क्षेत्र में या अन्यत्र ऐसी सम्पत्ति अपने कब्जे में रखता है जिसके लिए वह समाधानकारक रूप में लेखा-जोखा नहीं दे सकता है अपराध का दोषी होगा और कारावास से, जो सात वर्ष का हो सकेगा, और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा :

परन्तु यदि और जब विशेष न्यायालय व्दारा धारा 17 के अधीन निर्मुक्ति का आदेश पारित किया जाता है, तो अभियुक्त को, चाहे विचारण का प्रक्रम कुछ भी हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो उसे तत्काल छोड़ दिया जायगा और उसकी दोष- सिद्ध यद्रि कोई हो, के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह अस्तित्व में नहीं है ।

13 कारावास की न्यूनतम कालावधि- धारा 11 और 12 में या तत्समय प्रवृत्त किमी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी विनिर्दिष्ट अपराध के लिये जो न्यूनतम दण्ड दिया जायगा वह तीन वर्ष का कारावास होगा ।

13 क. प्रतिषिद्ध आयुधों तथा प्रतिषिद्ध गोला-बारूद को आयुध अधिनियम, 1959 के उल्लंघन में कब्जे में रखने आदि की दशा में उपधारणा- यदि कोई व्यक्ति प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला बारूद का, आयुध अधिनियम, 1959(1959 का सं० 54) के उपबन्धों के उल्लंघन में विनिर्माण प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय करता है या उन्हें कब्जे में रखता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि वह कोई विनिर्दिष्ट अपराध किये जाने के लिये उनका विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय करता है या उन्हें कब्जे में रखता है ।

स्पष्टीकरण- इस धारा में अभिव्यक्ति "प्रतिषिद्ध आयुधों" तथा अभिव्यक्ति "प्रतिषिद्ध गोला बारूद"

के वही अर्थ होंगे जो आयुध अधिनियम, 1959(1959 का सं ० 54) में उनके लिए दिये गये हैं ।

अध्याय 4 -सम्पत्ति की कुर्की

14. सम्पत्ति की कुकी-- (1) यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास वह समझने का कारण हो कि किसी डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाला कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में-या अन्यत्र ऐसी सम्पत्ति धारण करता है या यह कि डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र के बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र में ऐसी सम्पत्ति धारण करता है, जिसके बारे में वह समाधानकर रूप में लेखा-जोखा नहीं दे सकता है, तो वह उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा और उक्त सम्पत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सम्पत्ति की कुर्की कर ली जाने पर संहिता के उपबन्ध उसे लागू होंगे ।

(3) संहिता के उपबन्धों के होते हुये भी, जिला मजिस्ट्रेट, प्रतिभू के बदले, एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा जिसे उस सम्पत्ति का प्रशासन करने के लिये ऐसी समस्त शक्तियां होगी जिन्हें वह सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उचित समझे ।

(4) जिला मजिस्ट्रेट, सम्पत्ति के उचित और प्रभावी प्रशासन के हेतु, प्रशासक के लिये पुलिस सहायता की व्यवस्था कर सकेगा ।

(5) सम्पत्ति के प्रशासन पर उपगत व्यय, जिनके अन्तर्गत पुलिस सहायता पर उपगत व्यय भी आते हैं. सम्पत्ति पर भार होंगे ।

15. सम्पत्ति की नियुक्ति- (1) सम्पत्ति के धारा 14 के अधीन कुर्क कर लिए जाने पर, उसका स्वामी, कुर्की की जानकारी की तारीख से तीन मास के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट को अभ्यावेदन कर सकेगा जिसमें वे परिस्थितियां तथा साधन, जिनमें जिनके व्दारा वह सम्पत्ति उसके व्दारा अर्जित की गई थी, दर्शित किए जायेंगे ।

(2) यदि जिला मजिस्ट्रेट का अभ्यावेदन से समाधान हो जाता है, तो वह उस सम्पत्ति को कुर्की से तत्काल निमुक्त कर सकेगा, और तदुपरि वह सम्पत्ति तथा अन्त: कालीन लाभ उस सम्पत्ति पर भारित समस्त व्ययों की कटौती कर ली जाने के पश्चात् उस सम्पत्ति के स्वामी में निहित हो जायेंगे ।

16 सम्पसि के अर्जन के स्वरूप के बारे में विशेष न्यायालयों व्दारा जांच–(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन किये गए अभ्यावेदन से समाधान नहीं होता तो वह उस मामले को, अपनी रिपोर्ट के साथ उस विशेष न्यायालय के पास, जो आधिकारिता रखता हो, यह विनिश्चय करने के लिये भेजेगा कि क्या वह सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोई विनिर्दिष्ट अपराध करके अर्जित किया गया था या नहीं ।

(2) विशेष न्यायालय को, उपधारा (1) के अधीन उसे निर्दिष्ट किये गये किसी मामले का विनिश्चय करते समय, सिविल न्यायालय की वे समस्त शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं० 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समस सिविल न्यायालय को होती है ।

(3) इस धारा के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, यह साबित करने का भार कि अभ्या- बेदन में वर्णित

सम्पत्ति या उसका कोई भाग कोई विनिर्दिष्ट अपराध करके अर्जित नहीं किया गया था, उस व्यक्ति पर होगा जो उस सम्पत्ति का दावा करता हो, भले ही साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का सं॰ 1) में कोई भी बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

17. विशेष न्यायालय का विनिश्चय परिणाम और उसके - यदि विशेष न्यायालय, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सम्पत्ति का अर्जन विनिर्दिष्ट अपराध '[करके] किया गया था, तो वह उक्त सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश करेगा और अभिलेखों को, अपने आदेश के निष्पा- दन के लिये, जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा, और किसी अन्य दशा में, उस संपत्ति को तत्काल निमुक्त कर दिये जाने का आदेश किया जायेगा ।

18 अपील'--- विशेष न्यायालय के प्रत्येक ऐसे विनिश्चय के, जो धारा 17 के अधीन किया गया हो, विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी ।

19 अधिकारिता का वर्जन-- इस अधिनियम के अधीन पारित कोई आदेश या किया गया कोई विनिश्चय, उसमें यथा उप-बस्थित के सिवाय, अपीलनीय नहीं होगा, और किसी भी सिविल न्यायालय को किसी भी ऐसे मामले के सम्बन्घ में कोई अधिकारिता नहीं होगी जिसे अवधारित करने के लिये विशेष न्यायालय इस अधिनियम व्दारा या उसके अधीन सशक्त है, और किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी व्दारा, सम्पत्ति की कुर्की या अधिहरण में हस्तक्षेप करने वाला कोई आदेश या अन्तर्वर्ती आदेश, इस अध्याय व्दारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्यवाई के सम्बन्ध में नहीं दिया जयेगा ।

अध्याय 5 - प्रकीर्ण

20. सदभावपूर्वक की गई कार्यवाई का संरक्षण-- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध, किसी भी ऐसी बात के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भाव पूर्वक की गई हो या जिसका उसके अधीन सदभावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो, कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके लिये जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी अभिप्रास न कर ली गई हो ।

21. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव– इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे, भले ही तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में उनसे असंगत कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो ।

22. नियम बनाने की शक्ति- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना व्दारा बना सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे ।

23. निरसन-- मध्य प्रदेश डकैती-प्रभावित क्षेत्र आध्यादेश, 1981 (क्रमांक 5 सन् 1981) एतदव्दारा निरस्त किया जाता है ।

अनुसूची
[धारा 2 (च) देखिये]

(एक)-- भारतीय दण्ड संहिता (1860 का सं० 45) की धारा ' [.....] 302, 303,304,307, 308,325,326,327,329,331,333,363,364,365,368,386,387,'[.....]' 100 तथा 2[5111] के अधीन दण्डनीय अपराध;

(दो)-- फिरौती के लिये किसी व्यपहरण या अपहरण;

(तीन)-- फिरौती के लिये व्यक्ति के व्यपहरण -या अपहरण के लिये जमान, तैयारी, प्रयत्न;

(चार)-- '[.....] आयुध या गोला-बारूद या विस्फोट पदार्थ बनाना, प्रसंस्कृत करना या उनके बनाये जाने या प्रसंस्कृत किये जाने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, व्ययन करना या उन्हें ले जाना या कब्जे में रखना ।

(पांच)-- डकैती करने के पूर्व या पश्_चात् एकत्रित हुए या डकैती करने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों को खाद्य सामग्री, वस्त्र, संचार के साधन, परिवहन के साधन या अन्य वस्तुओं का प्रदाय करना;

(छह)-- किसी अपहरणकर्ता या व्यपहरणकर्ता को दी जाने के लिये फिरौती की रकम तय करने में मध्यस्थता करना या उन्हें फिरौती की रकम का भुगतान किया जाने के लिये प्रतिभू होना;

(सात)-- डकैती करने के पूर्व या पश्चात् एकवित हुए या डकैती करने की तैयारी करने की तैयारी करने वाले व्यक्तियों के लिये गुप्तचरी करना ।

(आठ)--ऊपर वर्णित अपराधों में से समस्त या उनमें से कोई अपराध करने वाले व्यक्तियों से फायदे प्राप्त करना । '